

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा सड़क मार्ग में अनियंत्रित बाईक के ठेले से टकरा जाने के कारण घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5998 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत सिरसी से इवेन्ट संख्या 50181 से कालर ने सड़क मार्ग पर अनियंत्रित बाईक ठेले से टकरा जाने, जिसके कारण 02 व्यक्ति (1- सतेन्द्र पुत्र बृजलाल, ग्राम भरवल पर्वता, 2- चुलबुल पुत्र बालगोविन्द ग्राम- सिरसी थाना धनघटा, संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 बृजेश यादव, हो0चा0 मेजर यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 13 वाहनों से 14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 13 वाहनों से 14,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 04 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 14.10.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 04 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये । थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 04 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया । संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 02 अदद मोबाईल फोन के साथ 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री सतीश कुमार सिंह* द्वारा गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0776/2024 धारा 305(a)/317(2) भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01.रवि दूबे उर्फ झम्मन दूबे पुत्र अनिरुद्ध दूबे निवासी पुरैना थाना सलेमपुर जनपद देवरिया, हा0मु0 मौलवी चक बड़गो थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व 02.मोहम्मद आसिफ उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद याहिया निवासी मुखलिसपुर तिराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर को मुखबिर की सूचना पर बेलदार टोला काली मन्दिर परिसर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि वादी फैजान खान पुत्र फकरुद्दीन निवासी नूर मस्जिद मिटवा मोहल्ला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 11.10.2024 को सूचना दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में घुसकर एण्ड्रायड मोबाइल फोन तथा रुपए चोरी कर लिया गया है । उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्तों को चोरी के मोबाइल फोन व रुपयों सहित गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.रवि दूबे उर्फ झम्मन दूबे पुत्र अनिरुद्ध दूबे निवासी पुरैना बाजार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया, हा0मु0 मौलवी चक बड़गो थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
- 2.मोहम्मद आसिफ उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद याहिया निवासी मुखलिसपुर तिराहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्त कबीर नगर ।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त रवि दूबे उर्फ झम्मन दूबे का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 0785/2018 धारा 380/457/511 भा0द0वि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
- 2.मु0अ0सं0 0796/2018 धारा 41/411/414 भा0द0वि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर ।
- 3.मु0अ0सं0 0213/2022 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर ।
- 4.मु0अ0सं0 0241/2022 धारा 392 भा0द0वि0 थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर।
- 5.मु0अ0सं0 0320/2022 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर।
- 6.मु0अ0सं0 0350/2022 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर।
- 7.मु0अ0सं0 0351/2022 धारा 403/411/413 भा0द0वि0 थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर।
- 8.मु0अ0सं0 0352/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ़ ताल जनपद गोरखपुर ।

अभियुक्त मोहम्मद आसिफ उर्फ गोलू का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 0211/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सं0क0न0 ।

बरामदगी:-

02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन (iQOO तथा OPPO) व 1410/- रुपये नकद ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम:- उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव, हे0का0 गनेश प्रसाद, का0 संदीप यादव,का0 सत्येन्द्र यादव, का0 सुरेश मौर्या ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के 70,150 रु0 के साथ 02 बाल अपचारियों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री सतीश कुमार सिंह* द्वारा गठित टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0779/2024 धारा 305/331(3) भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित प्रकाश में आये विधि विरुद्ध कार्य करने वाले 02 बालकगण/बाल अपचारीगण को मुखबीर की सूचना पर मड़या हाईवे के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

विदित हो कि वादी अली हसन पुत्र नेवास अली निवासी बंजरिया पूर्वी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 13.10.2024 को सूचना दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर घर में रखे रुपए चोरी कर लिए है । उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए चोरी के 70,150 रु0 नकद बरामद कर 02 बाल अपचारी गणों को मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

बरामदगी:- चोरी से प्राप्त 70,150/- रूपये नकद ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण का नाम:- उ0नि0 श्री राजीव सिंह, हे0का0 सम्पूर्णानन्द यादव, हे0का0 राजेश तिवारी, का0 अनिल कुमार ।